

ग्रंथ - 3421 / 2018 / रीवा / भूरा

श्रीमान् सम्मानित सदस्य महोदय, राजस्व मंडल स्वाक्षिर तर्किट कोर्ट रीवा
₹ म०प्र०



कन्हैयालाल शर्मा तनय श्री मधुरा प्रसाद शर्मा निवासी ग्राम उर्जा तहसील मुर्गज
जिला रीवा म०प्र०

निगराकार

बनाम

- 1- अजय कुमार
- 2- सुनील कुमार तीनो के पिता स्व. श्री बुद्धेन मिश्र
- 3- प्रशान्त कुमार
- 4- देवा चन्द्रकता विधवा पत्नी स्व. बुद्धेन मिश्र

5- कुमारी आरती पिता स्व. बुद्धेन मिश्र सभी निवासी ग्राम उर्जा तहसील

गैर निगराकार

अधिकारी कोहिकुमार
डिक्टी, झुरापेरा । ५-६-१८ मुर्गज जिला रीवा म०प्र०

निगरानी विरुद्ध आदेश क्रमांक 16/5/18 जरिये
प्रकरण क्रमांक - 473 अप्र०/16-17 न्यायालय श्रीमान्
अपरायुक्त महोदय सम्भाग रीवा म०प्र० अन्तर्गत
धारा 50 म०प्र० भू राजस्व तंत्रिता सन् 1959 ई.

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है:-

॥१॥- यहकि निगराकार कन्हैयालाल शर्मा वाद ग्रस्त आराजी खसरा क्रमांक -
126 रकवा 2.74 ए. एवं 127 रकवा 0.38 ए. स्थित ग्राम उर्जा तहसील मुर्गज
जिला रीवा के गैर निगराकीर्ता गण के पूर्वाधिकारी स्व. श्री बुद्धेन से अंजीकृत
खस्तव दस्तावेज ढंची के आधारपर वर्ष 1995 से काबिज दर्भील है तथा उक्त -

क्रमांक: 2

निगराकार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R 3421/2018/भू-री. जिला-रीवा

कल्पनालय रोड विरुद्ध अजय कुमार

(1)	(2)	(3)
18-12-18-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री.क्रीष्णकुमार विवेदी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कमिशनर/अपर कमिशनर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक ५३३/भू-री.का/१६/१७ में पारित आदेश दिनांक १६-५-२०१८ के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक ०५-०६-२०१८ प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2. म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।</p> <p>3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> 	

लग्नाः 2

लग्नाः 2